

उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग

प्रपत्र VI

समाहर्ता या समुचित सरकार

अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

चुकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना कोडरमा रांची भाया हजारीबाग बडकाकाना रेल लाईन निर्माण हेतु (छुटे हुए प्लॉट) हेतु ग्राम-कूद- I, थाना-हजारीबाग, थाना-सं0-143, अंचल-सदर, जिला-हजारीबाग में कुल 0.32 एकड़ यानि 0.1295 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.32 एकड़ यानि 0.1295 हेक्टेयर है, और जो ग्राम-कूद- I, थाना-हजारीबाग, थाना-सं0-143, अंचल-सदर, जिला-हजारीबाग में है, जिसका विवरणी निम्नवत है-

क्र० सं०	खाता संख्या	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	8	329	निजी	धान - II	0.32	लोकनाथ साव, टहल साव वो टेकलाल साव, पे रान बसंत साव वो मसोमात सरस्वती पति स्व० लीला साव वो शम्भु साव, उमे I साव पे रान मनु साव वो बन्धु साव, मुने वर साव, जमुना साव पे रान धन्नु साव वो रघु साव, कुले वर साव, जुगे वर साव, फुलचन्द साव, डेगलाल साव, बाने वर साव, अनुज कुमार पे रान पच्चु साव वो रामलखन साव, दामोदर साव, खेमलाल साव, सीताराम साव, चन्द्रिका साव पे रान कन्हाई साव वो खुबलाल साव, दीपक साहू पे रान रामलाल साव वो बाले वर साव पिता मोती साव वो लालकि गोर साव पिता प्रहलाद साव वो केदार साव, भुने वर साव पिता बाजो साव वो परमे वर साव, गोवर्धन साव, जागे वर साव, छोटन साव, भोलानाथ साव, नरे I साव पेशरान नागो साव वो अमित कुमार पिता स्व० द रथ साव वो सोहर साव, डमर साव, नान्हु साव पिता स्व० बदन साव वो लखन साव वगैरह पिता स्व० जयनाथ साव साकिन कूद।	प्लॉट न० 354	नाला	प्लॉट न० 329 अंश	प्लॉट न० 329 अंश

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्नित किये गये हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-

ग्राम-कूद- I, थाना-हजारीबाग, थाना-सं०-143, अंचल-सदर, जिला-हजारीबाग में कुल 0.32 एकड़ यानि 0.1295 हेक्टेयर जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या शून्य है।